**भारत सरकार**

**वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय**

**औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग**

**राज्‍य सभा**

**अतारांकित प्रश्‍न संख्या: 989**

**बुधवार 29 जुलाई, 2015 को उत्तर दिए जाने के लिए**

**औद्योगिक विकास की स्थिति**

**अता.प्र.सं. 989. श्री शादी लाल बत्राः**

**श्री डी. पी. त्रिपाठीः**

**क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः**

(क) देश में औद्योगिक विकास की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या पिछले वर्ष की तुलना में चालू वर्ष के दौरान औद्योगिक विकास की दर में कमी आई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी क्षेत्र-वार/माह-वार ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(घ) उक्त अवधि में बंद किए गए उद्योगों की महाराष्ट्र सहित राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्‍या क्या है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं या किए जा रहे हैं?

**उत्‍तर**

**वाणिज्‍य और उद्योग राज्‍य मंत्री (स्‍वतंत्र प्रभार)**

**(श्रीमती निर्मला सीतारमण)**

**(क) से (ग):** औद्योगिक उत्‍पादन को औद्योगिक उत्‍पादन सूचकांक (आईआईपी) के संबंध में मापा जाता है। आईआईपी के अनुसार, औद्योगिक क्षेत्र की वर्ष-वार तथा चालू वर्ष के दौरान विकास दरें नीचे तालिका में दी गई हैं:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **समूह** | **अप्रैल-मई**  **2014-15** | **अप्रैल-मई**  **2015-16** | **अप्रैल, 2014** | **मई, 2014** | **अप्रैल, 2015** | **मई, 2015** |
| खनन | 2.1 | 1.5 | 1.7 | 2.5 | 0.2 | 2.8 |
| विनिर्माण | 4.5 | 3.2 | 3.0 | 5.9 | 4.2 | 2.2 |
| बिजली | 9.2 | 2.8 | 11.9 | 6.7 | -0.5 | 6.0 |
| सामान्‍य सूचकांक | 4.6 | 3.0 | 3.7 | 5.6 | 3.4 | 2.7 |

स्रोत: केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय।

अप्रैल-मई, 2015-16 के दौरान आईआईपी की विकास दर में पूर्व वर्ष अर्थात वर्ष 2014-15 की समान अवधि के दौरान हुई 4.6% की वृद्धि की तुलना में धीमी होकर 3.0% रही है। औद्योगिक विकास में यह गिरावट अन्‍य बातों के साथ-साथ मांग विशेष तौर से बाहरी मांग की स्थिति में अल्‍पकालिक उतार-चढ़ाव के कारण हुई।

**(घ) और (ङ):** बंद किए गए उद्योगों का विवरण केंद्रीय स्‍तर पर नहीं रखा जाता। सरकार औद्योगिक क्षेत्र की वृद्धि को गति प्रदान करने के लिए प्रशासनिक तथा विनियामक सहित विभिन्‍न उपाय कर रही है। सरकार व्‍यवसाय के प्रेरक परिवेश का निर्माण करने के लिए निरंतर निवेशक भावना को प्रोत्‍साहित करने के लिए प्रक्रियाओं तथा कार्यविधियों को सरल तथा तर्कसंगत बना रही है, प्रत्‍यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) नीति को आसान बना रही है तथा इनवर्टिड ड्यूटी संरचना को ठीक कर रही है। इस प्रयोजन के लिए हाल ही में की गई कुछ पहलों में औद्योगिक लाइसेंस की जरूरत वाले रक्षा उद्योगों के रूप में विचार किए जा सकने वाले उद्योगों की सूची तैयार करना, औद्योगिक लाइसेंस की तीन वर्षों की प्रारंभिक वैधता में प्रत्‍येक दो वर्ष के दो विस्‍तार की सात वर्ष तक अनुमति, औद्योगिक लाइसेंस में वार्षिक क्षमता निर्धारण को समाप्‍त करना और औद्योगिक लाइसेंस हेतु रक्षा मदों की वार्षिक क्षमता को नियंत्रण मुक्‍त करना है। एफडीआई नीति में हाल ही में किए गए संशोधनों में रक्षा क्षेत्र में 49% तक रेलवे अवसंरचना में 100% तक, बीमा और पेंशन क्षेत्र में 49% तक एफडीआई की अनुमति देना शामिल है। विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी)/आर्थिक मामले संबंधी मंत्रिमंडल समिति से पूर्व अनुमति वाली निवेश सीमा को 1200 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 3000 करोड़ रुपए कर दिया गया है। अनिवासी भारतीय (एनआरआई), भारतीय मूल के व्‍यक्ति (पीआईओ) और भारत के विदेशी नागरिक (ओसीआई) के द्वारा निवेश की परिभाषा का एफडीआई नीति में संशोधन किया गया है।

इसके अलावा, सरकार ने अन्‍य बातों के साथ-साथ, राष्‍ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना के अंतर्गत ई-बिज मिशन मोड परियोजना की शुरूआत की है तथा दिल्‍ली-मुंबई औद्योगिक कोरिडोर (डीएमआईसी) परियोजना का कार्यान्‍वयन कर रही है। इसके अलावा, सरकार ने अमृतसर-कोलकाता औद्योगिक कोरिडोर, चेन्‍नई-बैंगलुरू औद्योगिक कोरिडोर, बैंगलुरू-मुंबई आर्थिक कोरिडोर तथा विजाग-चेन्‍नई औद्योगिक कोरिडोर (पूर्वी तटवर्ती आर्थिक कोरिडोर के प्रथम चरण के रूप में) तथा विभिन्‍न औद्योगिक कोरिडोरों के समन्‍वय तथा प्रगति की निगरानी के लिए एक राष्‍ट्रीय औद्योगिक कोरिडोर विकास प्राधिकरण की स्‍थापना की परिकल्‍पना की है।

हाल ही में, सरकार ने भारत में विनिर्माण को प्रमुख रूप से बढ़ावा देने के लिए 25 प्रमुख क्षेत्रों के साथ व्‍यवसाय कार्यकाल के विभिन्‍न चरणों के दौरान निवेशकों की सहायता, मार्गदर्शन, सहयोग तथा सेवा करने के लिए ‘इनवेस्‍ट इंडिया’ में एक निवेशक सुविधा केंद्र की स्‍थापना की गई है। यह सैल विभिन्‍न व्‍यापक विषयों जैसे मंत्रालयों और राज्‍य सरकारों की नीतियों, विभिन्‍न प्रोत्‍साहन योजनाओं और उपलब्‍ध अवसरों के बारे में आवश्‍यक सूचना उपलब्‍ध कराएगा ताकि निवेशकों को निवेश संबंधी आवश्‍यक निर्णय लेने में आसानी हो। एफडीआई नीति, राष्‍ट्रीय विनिर्माण नीति, बौद्धिक संपदा अधिकार तथा दिल्‍ली-मुंबई औद्योगिक कोरिडोर एवं अन्‍य राष्‍ट्रीय औद्योगिक कोरिडोरों के विवरण सहित 25 प्रमुख क्षेत्रों से संबंधित सूचना ‘मेक इन इंडिया’ के वेब पोर्टल (<http://www.makeinindia.com> ) पर डाल दी गई है।

\*\*\*\*\*